ISSN: 2455-2631 © September 2020 IJSDR | Volume 5, Issue 9

मनरेगा : काम का अधिकार (Right to Work : MANREGA)

Dr.Priyadarshi Manish

Research Scholar
BRABU.MUZ.PUR

मनरेगा से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि इसकी वजह से गांवों से शहरों की तरफ श्रम–शक्ति का पलायन कम होने लगा है। जब श्रमिकों को और विशेषतया अकुशल शारीरिक श्रमिकों को, अपने गांव में या उसके आस–पास किसी निर्माण कार्य में रोजगार मिल जाता है तो भला वे सुदूर शहरों में काम की तलाश में क्यों जाना चाहेंगे, जहां उन्हें अनेक प्रकार की असुविधाओं एवं कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। बड़े औद्योगिक नगरों में उन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। शहरीकरण के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे पानी, बिजली, परिवहन, चिकित्सा आदि की समस्याओं से पहले से वहां बसे नागरिक परेशान हैं तथा उसमें भीड़ जुड़ने से वातावरण और जटिल एवं प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए स्थानीय रोजगार से श्रमिकों को बहुत लाभ होता है। विश्व बैंक ने भी अपनी विकास रिपोर्ट 2013 में श्रमिकों के गांवों से शहरों की तरफ होने वाले पलायन को रोकने की दृष्टि मनरेगा को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। विशेष रूप से दक्षिण एशिया भर में मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया गया है। मनरेगा के अन्य परिणाम निम्न प्रकार हैं[11] –

1. मनरेगा से गांवों में परिसम्पत्ति के निर्माण में मदद मिली है। श्रम–शक्ति को विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यों में लगा कर सिंचाई, जल–संग्रहण क्रियाओं, सड़क, भवन निर्माण आदि का विकास करके गांवों का आधारभूत ढ़ांचा सुदृढ़ किया जा सकता है। यह ग्रामीण विकास को सुदृढ़ नींव प्रदान करता है।
2. मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों में आत्मविश्वास की भावना को जगाया है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान किया है। यही नहीं बैंकों एवं डाकघरों में खाते खोलने एवं उनके माध्यम से भुगतान करने से ग्रामीणों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे भुगतान की सुनिश्चितता, भुगतान में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी, ग्रामीणों का आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ाव, जो आगे चलकर देश की वित्तीय समावेशी स्थिति में मदद दे सकता है, जिसके अन्तर्गत आम ग्रामीण बैंकों से दोनों तरह से जुड़ जाता है (जमा करने की दृष्टि से) और उधार लेने की दृष्टि से। यह एक किस्म का व्यापक आर्थिक परिवर्तन माना जा सकता है।
3. मनरेगा के परिणामस्वरूप गांवों में मजदूरी का स्तर ऊँचा हुआ है। इससे उनके उपयोग का स्तर बढ़ा है तथा न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन को बल मिला है। गांवों में अन्य आर्थिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों के लिए भी मजदूरी में वृद्धि की सम्भावना उत्पन्न हुई है। इस प्रकार अकुशल श्रमिकों को लाभ हुआ है।
4. श्रमिकों को कच्चे घरों, अशिक्षा एवं अंधेरे से बाहर उजाले में आने का अवसर दिखाई देने लगा है और कालान्तर में वे भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ कर अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक सामर्थ्य बढ़ाने की स्थिति में आ रहे हैं।
5. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से देश के ग्रामीण गरीब परिवार को गरीबी की परिधि से बाहर निकाल पाना संभव हो पाया है।
6. गाँवों में ही स्थायी परिसम्पत्ति जैसे – वाटरशेड प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्य, सड़क, पुलिया, पंचायत घरों का निर्माण, तालाब निर्माण व पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, वन संरक्षण व वृक्षारोपण आदि कार्यों में श्रमिकों को नियोजित करने ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। गाँव के चतुर्दिक विकास से बने गाँव महात्मा गाँधी के आदर्श ग्राम राज्य की परिकल्पना का साकार हुआ है।
7. रोजगार उपलब्ध होने पर गरीबों की शक्ति और सामर्थ में वृद्धि हुई है। फलतः आर्थिक, सामाजिक विषमताओं में कमी आयी है।
8. इस योजना के तहत् महिलाओं को भी रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी है।

महात्मा गांधी नरेगा के परिणामों की एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से भारत सरकार द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत की जाती है और राज्य सरकारें राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत करती हैं। इस कार्यक्रम को एक बिल्कुल नई विशेषता इसकी अभिनव पहल ने दी है जो कि महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है जिससे कि इस अधिनियम के अभिनव तत्वों को सही तरीके से जमीनी स्तर पर शानदार तरीके से लागू किया जा सके।

तालिका – 1

महात्मा गांधी नरेगा के कार्य निष्पादन की एक झलक

(वित्त वर्ष 2006–07 से वित्त वर्ष 2011–12)[12]

रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या (करोड़ में)	वित्त वर्ष 2006–07 (200 जिले)	वित्त वर्ष 2007–08 (330 जिले)	वित्त वर्ष 2008–09 (सभी ग्रामीण जिले)	वित्त वर्ष 2009–10 (सभी ग्रामीण जिले)	वित्त वर्ष 2010–11 (सभी ग्रामीण जिले)	वित्त वर्ष 2011–12′ (सभी ग्रामीण जिले)	कुल वित्त वर्ष 2006–07 वित्त वर्ष 2011–12 ′
	2ण्1	3ण्4	4ण्5	5ण्3	5ण्5	5	′′
(श्रम दिवसों) की संख्या (करोड़ में) कुल श्रम–दिवसों का :							
कुल	90ण्5	143ण्59	216ण्3	283ण्6	257ण्2	209ण्3	1200
अ.जा.	23 ख्25:,	39ण्4 ख्27:,	63ण्4 ख्29:,	86ण्5 ख्30:,	78ण्5 ख्31:,	46ण्2 ख्22:,	337 ख्28:,
अ.ज.जा.	33 ख्36:,	42 ख्29:,	55 ख्25:,	58ण्7 ख्21:,	53ण्6 ख्21:,	37ण्7 ख्18:,	280 ख्23:,
महिलाएं	36 ख्40:,	61 ख्43:,	103ण्6 ख्48:,	136ण्4 ख्48:,	122ण्7 ख्48:,	101ण्1 ख्48:,	561 ख्47:,
ऐवरेज	43 कंले	42 कंले	48 कंले	54 कंले	47 कंले	42 कंले	′′
वित्तीय ब्यौरा (करोड़ रू. में)							
बजट परिव्यय ;पद ते बतवतमद्ध	11300	12000	30000	39100	40100	40000	172500
व्यय ;पद ते बतवतमद्ध	8824	15857	27250	37905	39377	37303	166516
अकुशल मजदूरी पर व्यय (करोड़ में)	5842	10739	18200	25579	25686	24660	110706
ख्कुल व्यय का :′′′	66:	68:	67:	67:	65:	66:	66:
कार्य (लाख में)							
शुरू किए गए कार्य	8.4	17.9	27.8	46.2	51	76.6	146
पूरे किए गए कार्य	3.9	8.2	12.1	22.6	25.9	14.3	87

नोटः– अनंतिम आंकड़े : 2011–12 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका – 2

महात्मा गांधी नरेगा अधिसूचित मजदूरी वित्तवर्ष 2006–07 से वित्तवर्ष 2011–12 और न्यूनतम कृषि मजदूरी में वृद्धि (रू. प्रतिदिन) वित्त वर्ष 2011–12[13]

राज्य	मजदूरी वित्तवर्ष 2006–07	मजदूरी वित्तवर्ष 2007–08	मनरेगा मजदूरी वित्तवर्ष 2009–10	मनरेगा मजदूरी वित्तवर्ष 2010–11 से 2011–12	मनरेगा से प्रभावी सुधार 01.04.2012	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वित्तवर्ष 2011–12
आंध्रप्रदेश	80	80	100	121	137	168
अरूणाचलप्रदेश	55–57	65–67	80	118	124	135–154
असम	66	76.35	100	130	136	100.42
बिहार	68	77	100	120	122	120
छत्तीसगढ़	62.63	62.63	100	122	132	114
गुजरात	50	50	100	124	134	100
हिमाचलप्रदेश	75	75	100	120–150	126–157	120–150
जम्मू कश्मीर	70	70	100	121	131	110
झारखंड	76.68	76.68	99	120	122	127
कर्नाटक	69	74	100	125	155	145.58
केरल	125	125	125	150	164	200
मध्यप्रदेश	63	85	100	122	132	124
महाराष्ट्र	47	66–72	100	127	145	100
मणिपुर	72.4	81.4	81.4	126	144	122.1
मेघालय	70	70	100	117	128	100
मिजोरम	91	91	110	129	136	170
नागालैंड	66	100	100	118	124	–
ओडिशा	55	70	90	125	126	90
पंजाब	93–105	93–105	100–105	153	166	153.8
राजस्थान	73	73	100	119	133	135
सिक्किम	85	85	100	118	124	100
तमिलनाडु	80	80	100	119	132	100
त्रिपुरा	60	60	100	118	124	100
उत्तरप्रदेश	58	58	100	120	125	100
पश्चिम बंगाल	69.4	69.4	100	130	136	167

नोट – (1) 1.1.2009 से महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी को अधिनियम के खंड 6(2) से खंड 6(1) में लाया गया है। (2) 1.1.2011 से मनरेगा की मजदूरी दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक से जोड़ दी गई है। (3) इस तालिका में, यदि दो मजदूरी हैं तो मजदूरी राज्य के अलग–अलग क्षेत्रों के लिए है, उदाहरण के लिए, अनुसूचित क्षेत्र और गैर–अनुसूचित क्षेत्र। इस मामले में अधिसूचित मनरेगा मजदूरी और कृषि मजदूरी की ऊपरी सीमा है। (4) केन्द्रशासित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।

यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि मनरेगा के अंतर्गत काम में महिलाओं का हिस्सा सभी राज्यों के बाजार में अनियत मजदूरी श्रमिक में उनके हिस्से से अधिक है। इस योजना में महिजाओं की भागीदारी उनके किसी भी प्रकार के अन्य काम में रिकॉड भागीदारी से अधिक सक्रिय है। यह इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि मनरेगा महिलाओं के लिए बेहतरीन और अनुकूल कार्य परिस्थितियों का निर्माण करता उदाहरण के लिए, मनरेगा सुनिश्चित करता हे कि काम का आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसके गांव के 5 किमी के दायरे में काम उपलब्ध कराया जाए, इसलिए यह महिलाओं लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है कि उन्हें परिवार में उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व को देखते हुए सीमित रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, रास्थान और उत्तर प्रदेश के 10 नमूना जिलों में किए गए अध्ययन के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन नमूनों में शामिल केवल 30 प्रतिशत महिलाएँ है इस सर्वेक्षण के 3 महिने पहले कि बात याद कर सकी कि उन्होनें मनरेगा के अलावा, किसी अन्य स्रोत से नकद आय अर्जित कि है नमूने में शामिल कुल महिलाओं में से 50 प्रतिशत ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के ना होने कि स्थिति में उन्हें घर में काम करना पड़ता अथवा वे बेरोजगार रहतीं।[15]

यद्यपि महिलाओं कि भागीदारी में अंतर–राज्य भिन्नता गहण अध्ययन और विश्लेषण का मुद्दा बना हुआ है। वित्त वर्ष 2011–12 में केरल में महिलाओं कि सर्वाधिक भागीदारी 93 प्रतिशत, इसके बाद तमिलनाडु और राजस्थान में क्रमशः 74 प्रतिशत और 69 प्रतिशत रही। 33 प्रतिशत की आवश्यकता से कम वाले राज्य थे – उत्तरप्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मिजोरम, असम, नागालैंड, बिहार, झारखंड, अरूणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

दक्षिणी राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु में मनरेगा में भागीदारी की दर अन्य सभी रिकॉर्ड किये गए कामों कि तुलना में अधिक दिखाई है। उत्तर और कुछ पूर्वी राज्यों में यद्यपि पैटर्न आमतौर पर अलग रहा है जिसमें अन्य ग्रामीण कार्यो की तुलना में इस योजना में महिलाओं के काम का समानुपात थोड़ा कम रहा है; केवल राजस्थान इसका अपवाद हे। इस अंतर को विशेष रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है जहां पर मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से कम है।

दक्षिणी राज्यों में अधिक भागीदारी के लिए कुछ संभावित कारण संभवतः हो सकते हैं[16] :–

- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को सांस्कृतिक स्वीकृति,
- स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव,
- राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रभावी संस्थान जोकि महात्मा गांधी नरेगा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है,
- निजी क्षेत्र और महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी में अंतर,
- गरीब राज्यों में उच्च नियंत्रण जहां पर अभी भी अनियत मजदूरी में महिलाओं का प्रतिशत उंचा है।

कार्यस्थल पर बच्चा रखने की व्यवस्था जैसी सुविधाओं की गैर–उपलब्धता भी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे, महात्मा गांधी नरेगा के कुछ प्रकार के कार्य भी महिलाओं की भागीदारी को सीमित करते हैं। कुछ राज्यों में जहां उत्पादकता की शर्ते काफी कठिन है क्योकिं शेड्यूल ऑफ रेट्स को अभी भी योजना की शर्तो के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है। इसके अतिक्ति, उनके लिए धर के कामों के साथ जैसे पानी, लकड़ी और जानवरों के लिए चारा इत्यादि के साथ महात्मा गांधी नरेगा के काम के घंटे संतुलन बनाने के कठिनाइयां पैदा करते है।

संदर्भ ग्रन्थों की सूची :–

1. पी. दत्ता, आर. मुरगई, एम. रावालियन और डब्ल्यू. वी. डोमिनिक, 'डज इंडियाज इम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम गारंटी इम्पलॉयमेंट', पॉलिसी रिसर्च पेपर, वाशिंगटन, डी सी : वर्ल्ड बैंक 2012.

2. के. बोनर इत्यादि, 'महात्मा गांधी नरेगा इम्पलीमेंटेशन : एक क्रॉस–स्टेट कम्पेरिजन';वुडरो विल्सन स्कूल, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, 2012.

3. सुदर्शन, 'इंडियाज नेशनल रूरल इम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट : वूमेंस पार्टिसिपेशन एंड इम्पेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, केरल और राजस्थान, 2011, पृ० 18

4. एस. वर्मा, एम जी ए आर ई जी ए एसेट्स एंड रूरल वाटर सिक्यूरीटी : सिंथेसिस ऑफ फील्ड स्टडीज इन बिहार, गुजरात, केरल और राजस्थान, पृ० 28

5. आर. होम्स, एस. रथ और एन सडाना, 'एन ऑपरच्यूनिटी फॉर चेंज? जेंडर एनालिसिस ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट', ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, फरवरी 2011.

6. परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, डॉ० जी० आर० मदन, विवेक प्रकाशन, जवाहरनगर दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ 260—264.

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट

8. एन० एस० एस० ओ०, भारत सरकार, 2009—10 और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से सम्बन्धित।

9. आर. खेड़ा और एन. नायक, 'वूमेन वर्कर्स एंड परसेप्शन्स ऑफ द नेशनल रूरल इम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट', इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, संस्करण 64, संख्या 43, 24 अक्टूबर 2009, पृ० 45

10. एन. पाणि और सी. अयर, 'इवैल्यूएशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेसिस इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम इन कर्नाटक'; बंगलौर : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (एन आई ए एस), 2011, पृ० 8

IJSDR